अध्याय-5

विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त -

अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

अध्याय 5

5 विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त - अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र की राज्य सरकार की कंपनियों और सांविधिक निगमों के लेन-देनों की नमूना-जांच से उद्भूत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस अध्याय में शामिल हैं।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

5.1 उच्च दर पर जन संपर्क एजेंसी को काम पर लगाना

कंपनी ने जन संपर्क एजेंसी के रूप में नियुक्ति के लिए अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता को नजरअंदाज कर दिया और पुन: निविदाकरण में दूसरे बोलीदाता को काम सौंप दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.09 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) ने अपने हितधारकों के लिए आउटरीच सुनिश्चित करने और उन्हें राज्य में नीतियों और सुधारों से अवगत कराने के उद्देश्य से पब्लिक रिलेशन (पी.आर.) एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया (अप्रैल 2017)। कार्य के दायरे में रचनात्मक विकास और सभी मीडिया में पी.आर. को काम पर लगाना/मार्केटिंग/अभियान चलाना शामिल था। एक वर्ष की अवधि के लिए पी.आर. एजेंसी को काम पर रखने की ई-निविदा मई 2017 में अपलोड की गई थी। पी.आर. एजेंसी का चयन गुणवत्ता और लागत आधारित चयन प्रणाली[1] के माध्यम से किया जाना था। योग्य बोलियों को तकनीकी और वित्तीय स्कोर के लिए क्रमशः 70 और 30 प्रतिशत के वेटेज देने के बाद प्राप्त संयुक्त स्कोर के आधार पर बोली रैंकिंग का निर्धारण किया जाना था।

चार पी.आर. एजेंसियों ने ऑनलाइन बोलियां प्रस्तुत कीं जोकि खोली गईं (16 जून 2017) और इनकी प्रस्तुतियाँ दी गईं थीं। दो बोलीदाताओं (फर्म-ए[2] और फर्म-बी[3]) को उनकी वित्तीय बोलियों को खोलने के लिए योग्य घोषित किया गया था, जो 21 जून 2017 को खोली गई थीं। मूल्यांकन प्रक्रिया में फर्म-ए ने अधिकतम अंक (80.4 अंक) प्राप्त किए और फर्म-बी द्वारा प्राप्त 71.6 अंकों के साथ उद्धृत ₹ 2.30 करोड़ के विरूद्ध ₹ 0.55 करोड़ की वार्षिक फीस उद्धृत की। हालांकि, कंपनी ने फर्म-ए को उसकी वित्तीय बोली को असामान्य रूप से कम मानते हुए अनुबंध देने के बजाय इस बात की आशंका पर री-टेंडरिंग का निर्णय लिया (जून 2017) कि फर्म आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकती है।

समान चयन मानदंडों के साथ जुलाई 2017 में आयोजित री-टेंडरिंग में, प्राप्त हुई आठ बोलियों में से फिर इन्हीं दो बोलीदाताओं (फर्म-ए और फर्म-बी) को उनकी वित्तीय बोलियों को खोलने के लिए योग्य घोषित किया गया था। इन दोनों योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली गईं (20 सितंबर 2017)। इस बार, फर्म-ए ने वार्षिक शुल्क ₹ 2.24 करोड़ और फर्म-बी ने ₹ 2.83 करोड़ उद्धृत किया। उच्चतम स्कोर वाली फर्म-बी को ₹ 2.83 करोड़ के वार्षिक शुल्क पर एक वर्ष की अवधि के लिए काम दिया गया (22 सितंबर 2017) जिसे बाद में (मार्च 2018) 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि, कंपनी में वित्तीय संकट

---

1 गुणवत्ता और लागत आधारित चयन प्रणाली के अंतर्गत, एक बोली के तकनीकी प्रस्ताव के अंकों और वित्तीय प्रस्ताव के अंकों को भारित किया जाता है और फिर अंतिम परिणाम निकालने के लिए सारांशित किया जाता है।

2 मैसर्ज वर्मिलियन कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

3 मैसर्ज मोड एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

का हवाला देते हुए 11 अक्तूबर 2018 को उक्त अनुबंध को समाप्त कर दिया गया था। कंपनी ने अक्तूबर 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए पी.आर. एजेंसी को ₹ 1.35 करोड़ का भुगतान किया था। एजेंसी ने अप्रैल 2018 से सितंबर 2018 तक की अवधि के लिए आज तक बिल जमा नहीं किए हैं (जनवरी 2020)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी की यह आशंका अनुचित थी कि फर्म-ए आवश्यक सेवाएं नहीं दे पाएगी, क्योंकि कंपनी ने स्वयं ही प्रथम निविदा में फर्म-ए को तकनीकी रूप से योग्य मानते हुए मूल्यांकन किया था। इसके बाद, फर्म-बी को ₹ 2.83 करोड़ के उच्च वार्षिक शुल्क पर (री-टेंडरिंग के बाद) कार्य प्रदान किया।

इस प्रकार, फर्म-बी को उच्च दरों पर काम देने के कंपनी के असंगत निर्णय के परिणामस्वरूप ₹ 1.09 करोड़[4] का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबंधन ने बताया (मई 2019) कि वित्तीय बोली का अंतर बहुत बड़ा था। इसके अतिरिक्त, निविदा दस्तावेज में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि हमारे अनुमान के अनुसार, लागत लगभग ₹ 2.41 करोड़ होगी। तदनुसार, बोली रद्द कर दी गई और नए सिरे से निविदा शुरू की गई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रथम निविदा में, तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया में फर्म-ए को योग्य पाया गया था और समग्र मूल्यांकन में अधिकतम अंक थे। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास संसाधन कर्मचारियों को बदलने या सेवाओं में कमी के मामले में किसी भी स्तर पर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार था।

यह मामला सरकार के पास भेजा गया था (मार्च 2019); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2020)।

यह सिफारिश की जाती है कि प्रबंधन सबसे कम बोली लगाने वाले की अनुचित आधार पर अनदेखी करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने पर विचार करे।

5.2 मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के वित्तपोषण के लिए असंगत संसाधन का संग्रहण

मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के वित्तपोषण के लिए सस्ता कैश क्रेडिट/टर्म ऋण की उपलब्धता के बावजूद कंपनी ने अधिक ब्याज वाला हुडको ऋण लिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.24 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

गुरूग्राम से मानेसर और बावल के बीच मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के विकास के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) ने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौता (जून 2016) किया। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ने परियोजना की अनुमानित लागत को ₹ 17,328 करोड़ रखा जिसे बहुपक्षीय एजेंसियों जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी, वर्ल्ड बैंक-आई.बी.आर.डी. और घरेलू बाजार से उठाए गए ऋण के द्वारा वित्त पोषित किया जाना था। हरियाणा सरकार को परियोजना के लिए इक्विटी के रूप में ₹ 1,313 करोड़ का नकद और ₹ 1,368 करोड़ के मूल्य की भूमि का योगदान करना था। कंपनी ने भूमि अधिग्रहण और संबद्ध उपयोगों के लिए ₹ 1,313 करोड़ के सावधि ऋण के लिए आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) से संपर्क किया (अप्रैल 2016)। हालाँकि, ऋण की

[4] ₹ 1.35 करोड़ (कुल भुगतान) - ₹ 0.26 करोड़ (आनुपातिक भुगतान) -
गणना इस आधार पर की गई है कि यदि अनुबंध फर्म-ए को ₹ 0.55 करोड़ के लिए प्रदान किया गया था, तो मार्च 2018 तक जारी किया गया आनुपातिक भुगतान ₹ 0.26 करोड़ (₹ 1.35 करोड़/₹ 2.83 करोड़ X ₹ 0.55 करोड़) होना चाहिए।

मंजूरी से पहले, कंपनी ने ₹ 1,220.31 करोड़[5] की लागत से गुरुग्राम, मानेसर और रेवाड़ी (बावल के लिए) में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए 452[6] एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया (अगस्त 2016 और जनवरी 2017) और भूमि मालिकों को भुगतान करने के लिए अन्य उपलब्ध स्रोतों से जिला राजस्व अधिकारी-सह-भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों (डी.आर.ओ.-सह-एल.ए.सी.) को यह राशि हस्तांतरित कर दी (सितंबर 2016 से जुलाई 2017)। इस बीच, हुडको ने 10.15 प्रतिशत प्रति वर्ष के दर से ब्याज पर ₹ 876 करोड़ का ऋण कंपनी को राज्य सरकार की गारंटी[7] और राज्य सरकार के बजट में इसके भुगतान के बजटीय प्रावधान की शर्तों के साथ मंजूर कर दिया (दिसंबर 2016) तथा राज्य सरकार की गारंटी की प्राप्ति (9 मार्च 2017) पर ₹ 250 करोड़ के ऋण की पहली किस्त जारी (17 मार्च 2017) कर दी।

इसके बाद, हुडको ने बार-बार (मार्च 2017 से दिसंबर 2017 के दौरान) कंपनी को राज्य के बजट में बजटीय प्रावधान प्रदान करने के लिए जोर दिया और बताया कि इसके गैर-अनुपालन को चूक माना जाएगा। कंपनी ने हालांकि हुडको के ऋण को चुकाने का फैसला (फरवरी 2018) किया क्योंकि बजट प्रावधान की व्यवस्था नहीं की जा सकी और यहां तक कि हुडको द्वारा प्रभारित ब्याज को अन्य ऋणों की तुलना में अधिक माना गया। कंपनी ने 28 फरवरी 2018 को ₹ 5.04 करोड़ के पूर्व-भुगतान शुल्क के साथ ऋण चुकाया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि हुडको ऋण के आहरण (मार्च 2017) से पहले, कंपनी ने पहले ही संबंधित डी.आर.ओ.-सह-एल.ए.सी. को ₹ 657.85 करोड़[8] का भुगतान किया था और मार्च 2017 में केवल ₹ 562.46 करोड़ (₹ 1,220.31 करोड़ - ₹ 657.85 करोड़) का भुगतान देय था। ₹ 562.46 करोड़ का शेष भुगतान करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में बिना-लाभ वाले ऋण/नकद क्रेडिट सीमाएँ थीं जो फरवरी 2017 से फरवरी 2018 के दौरान ₹ 916.81 करोड़ और ₹ 3,337.75 करोड़ के बीच थीं (हुडको ऋण को छोड़कर) जो प्रति वर्ष 8.10 एवं 9.65 प्रतिशत के बीच सस्ती ब्याज दरों पर उपलब्ध थी। दिसंबर 2016 में ऋण की गारंटी देते समय राज्य सरकार ने यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि चूंकि हुडको ऋण की ब्याज दर अधिक थी, इसलिए कंपनी को वास्तविक आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम ऋण की राशि लेनी चाहिए। इस प्रकार, कंपनी हुडको ऋण के आहरण से बच सकती थी।

इस प्रकार, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के वित्तपोषण के लिए कंपनी द्वारा किए गए असंगत संसाधन जुटाने के परिणामस्वरूप अंतर ब्याज (₹ 1.20 करोड़)[9], पूर्व-भुगतान शुल्क (₹ 5.04 करोड़) और राज्य सरकार को देय गारंटी शुल्क (₹ पांच करोड़[10]) के रूप में ₹ 11.24 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

सरकार/कंपनी ने बताया (जून 2019) कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 19 नवंबर 2017 के आदेश के अनुसार भारी-भरकम मुआवजा देनदारियों को पूरा करने के लिए अप्रयुक्त ऋणों/क्रेडिट सीमा को सुरक्षित रखा गया था। इसके अतिरिक्त, यह बताया

---

5 गुरुग्राम - जनवरी 2017 में ₹ 80 करोड़ और जुलाई 2017 में ₹ 234.44 करोड़, मानेसर - सितंबर 2016 से जनवरी 2017 के दौरान ₹ 477.85 करोड़ और मई 2017 से जुलाई 2017 के दौरान ₹ 187.50 करोड़ और रेवाड़ी - जनवरी 2017 में ₹ 100 करोड़ और मार्च 2017 में ₹ 140.52 करोड़।

6 गुरुग्राम में 110.5 एकड़, मानेसर में 147.5 एकड़ और रेवाड़ी में 194 एकड़ जमीन है।

7 ऋण की राशि का दो प्रतिशत।

8 गुरुग्राम - ₹ 80 करोड़, मानेसर - ₹ 477.85 करोड़ और रेवाड़ी - ₹ 100 करोड़।

9 17 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2018 तक वास्तविक रूप से भुगतान किए गए ब्याज की कुल राशि पर 0.50 प्रतिशत (10.15 प्रतिशत - 9.65 प्रतिशत) की दर पर आनुपातिक रूप से की गई गणना: ₹ 24.26 करोड़ * 0.50 / 10.15 = ₹ 1.20 करोड़।

10 भुगतान किया जाना है।

गया है कि ब्याज/पूर्व-भुगतान शुल्क और बैंक गारंटी का लेन-देन केवल सरकारी निकायों के बीच हुआ था और पूरी प्रक्रिया में कोई प्राइवेट पार्टी शामिल नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने उच्च न्यायालय के आदेशों से पहले हुडको ऋण को प्रतिबद्ध किया था और आहरित किया था और इस प्रकार, यह ऋण का लाभ उठाने का कारण नहीं हो सकता।

यह सिफारिश की जाती है कि एक वाणिज्यिक संगठन होने के नाते, कंपनी को अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करना चाहिए।

5.3 गैर-बाधा रहित साइट के आवंटन के कारण हानि

कंपनी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवंटी को बाधा रहित साइट प्रदान करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप भुगतान प्रक्रिया को स्थगित किया गया जिससे ₹ 45.96 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) ने अपनी भूमि होल्डिंग के मुद्रीकरण का (नवंबर 2016) निर्णय लिया और फ्री होल्ड आधार पर बिक्री के लिए गुरुग्राम के उद्योग विहार में एक भूमि स्थल (17.18 एकड़) की पहचान की। भुगतान के नियमों शर्तों को संशोधित करने के बाद और कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, कंपनी ने 11.76 एकड़ भूमि की ई-नीलामी के लिए बोलियां आमंत्रित (दिसंबर 2017) कीं (एक कार्यालय भवन सहित जो दो किरायेदारों को पट्टे पर था)। बोली दस्तावेजों की धारा 2.3 के अनुसार, साइट स्पष्ट थी और सभी अतिक्रमणों से मुक्त थी। प्लॉट के लिए ₹ 1,496 करोड़ की पेशकश पर सफल बोलीदाता (अलॉटी) को भूखंड आवंटित किया गया था और ₹ 149.60 करोड़ (10 प्रतिशत बोली मूल्य) के जमा पर आवंटन (आरएलए) का एक नियमित-पत्र (9 मार्च 2018) जारी किया गया था। प्लॉट पर कब्जा करने के लिए, आवंटी को आर.एल.ए. के जारी होने के 30 दिनों (8 अप्रैल 2018 तक) के भीतर अन्य भुगतान ₹ 224.40 करोड़ (बोली मूल्य का 25 प्रतिशत पूरा करने के लिए), 60 दिनों के भीतर ₹ 374 करोड़ और आर.एल.ए. के जारी होने के 90 दिनों के भीतर शेष राशि ₹ 748 करोड़ जमा करना आवश्यक था।

हालांकि कंपनी ने सभी अतिक्रमणों से मुक्त साइट की पेशकश की (दिसंबर 2017), लेकिन भूमि पर दो किरायेदारों और मोबाइल टॉवर वाले भवन खाली नहीं थे। परिसर को खाली करने के लिए किरायेदारों को नोटिस 1 सितंबर 2017 को ही जारी किए गए थे, हालांकि कंपनी ने नवंबर 2016 में ही इस जमीन को बेचने का फैसला किया था।

चूंकि भूमि पर भवन खाली नहीं था, इसलिए कंपनी ने शुरू में पहली किश्त जमा करने की नियत तारीख को 8 अप्रैल 2018 से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2018 कर दिया था। अतिक्रमणों के न हटाए जाने पर, आवंटियों ने भुगतान समय में विस्तार के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया (26 अप्रैल 2018) और ₹ 224.40 करोड़ (पहले जमा किए गए ₹ 149.60 करोड़ के समायोजन के बाद) जमा किए (1 मई 2018)। उच्च न्यायालय ने कंपनी को सभी अतिक्रमणों को हटाने और संशोधित आर.एल.ए. जारी करने का आदेश दिया (31 मई 2018)। तदनुसार, कंपनी ने संशोधित भुगतान अनुसूची के साथ 3 जुलाई 2018 को संशोधित आर.एल.ए. जारी किया। कंपनी को 30 जुलाई 2018 को ₹ 224.40 करोड़ पहली किश्त की राशि और 1 जनवरी 2019 को ₹ 383.23 करोड़ दूसरी किश्त के रूप में भुगतान प्राप्त हुआ। आवंटियों ने अतिक्रमण मुक्त साइट प्रदान करने हेतु कंपनी को फिर से अनुरोध किया (जनवरी 2019) क्योंकि वह अभी भी स्पष्ट नहीं था और पार्किंग स्लॉट, भूमिगत पानी की टंकी, सीवरेज लाइनों, सीमांकन बिंदुओं के आवंटन से संबंधित कुछ मुद्दे थे

जो ज़ोनिंग प्लान के अनुसार नहीं थे। कंपनी ने हालांकि शेष भुगतान के लिए आवंटी को एक नोटिस दिया (मार्च 2019), जिस पर आवंटी ने फिर से उच्च न्यायालय का रुख किया (अप्रैल 2019)। उच्च न्यायालय ने 26 मार्च 2019 से आर.एल.ए. की अनुसूची के संशोधन के लिए कंपनी को निर्देश दिया (मई 2019)। इसलिए, आवंटियों ने जमीन का कब्जा लेते हुए 50 प्रतिशत शेष राशि के सापेक्ष 19 जून 2019 को ₹ 14.96 करोड़ का टी.डी.एस. काटने के बाद एकमुश्त राशि ₹ 723.81 करोड़ का शेष भुगतान जमा कर दिया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि आर.एल.ए. की अनुसूची के संशोधन के परिणामस्वरूप आवंटियों के भुगतान कार्यक्रम को 113 से 354 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। यदि कंपनी को मूल आर.एल.ए. के अनुसार भुगतान प्राप्त होता, तो वह अपने उधार पर चुकाए गए ₹ 45.96[11] करोड़ के ब्याज को बचा सकती थी क्योंकि कंपनी ने अपने परिचालन कार्यों के लिए विभिन्न ऋण प्राप्त किए हैं। कंपनी को किसी भी नुकसान से बचने के लिए भूमि खाली करने हेतु अग्रिम रूप से कार्रवाई शुरू करनी चाहिए थी ताकि आवंटी को बोली दस्तावेज के अनुसार स्पष्ट और अतिक्रमण मुक्त साइट प्रदान की जा सके।

सरकार ने बताया (नवंबर 2019) कि आवंटियों ने अलग-अलग समय पर अलग-अलग मुद्दों को उठाया और भूमि को कब्जे में लेने के लिए यह मान कर कंपनी से संपर्क नहीं किया कि भूमि अतिक्रमण से मुक्त नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी मार्च 2019 तक आवंटी को अतिक्रमण मुक्त भूमि नहीं दे सकी थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने कंपनी को 26 मार्च 2019 से शुरू होने वाले आर.एल.ए. की अनुसूची के संशोधन हेतु निर्देश दिया था।

यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी को अपनी बिक्री योग्य भूमि को नीलामी/आवंटन से पहले सभी तरह की बाधाओं से मुक्त रखना चाहिए ताकि कानूनी विवाद और भुगतान प्रक्रिया में देरी से ब्याज की हानि होने से बचा जा सके।

हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड

5.4 आयकर अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करना

कंपनी ने अग्रिम आयकर जमा नहीं किया और आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.09 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 208 के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम कर तब देय होता है यदि उस वर्ष के दौरान निर्धारिती की अनुमानित कर देयता ₹ 10 हजार या उससे अधिक है। अधिनियम की धारा 234-ए में यह प्रावधान है कि यदि किसी भी आकलन वर्ष के लिए आय के रिटर्न को नियत तारीख[12] के बाद भरा जाता है, निर्धारित कर में से कटौती की गई/स्रोत पर संगृहित अग्रिम कर घटाते हुए उस राशि पर प्रति माह एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज प्रभार्य होगा।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 234-बी साधारण ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान करती है, जहां करदाता द्वारा भुगतान किया गया अग्रिम कर अप्रैल के पहले दिन से हर माह एक प्रतिशत की दर से निर्धारित कर के 90 प्रतिशत से कम है। साथ ही, अधिनियम की धारा 234-सी में यह प्रावधान है कि यदि कोई निर्धारिती अग्रिम कर का भुगतान करने में

---

[11] विलंबित प्राप्ति पर 7.90 प्रतिशत की दर से गणना: (113 दिनों के लिए ₹ 224.40 करोड़ (8 अप्रैल 2018 से 30 जुलाई 2018 तक), 238 दिनों के लिए ₹ 374 करोड़ (8 मई 2018 से 1 जनवरी 2019 तक), ₹ 187 करोड़ 354 दिनों के लिए (1 जुलाई 2018 से 19 जून 2019 तक) और 170 दिनों के लिए ₹ 187 करोड़ (1 जनवरी 2019 से 19 जून 2019 तक)।

[12] प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष का 30 सितंबर।

विफल रहता है या 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च (वित्तीय वर्ष का) तक अग्रिम कर का क्रमशः 15 प्रतिशत, 45 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत से कम भुगतान करता है, तो कमी की राशि पर निर्धारिती प्रति माह एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

अभिलेखों की जांच से पता चला है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान, कंपनी ने अग्रिम आयकर जमा नहीं किया था और आयकर रिटर्न को दाखिल करने में भी देरी की जैसा कि नीचे तालिका 5.1 में विवरण दिया गया है:

तालिका 5.1: कंपनी द्वारा 234 ए/बी/सी के अंतर्गत दिया गया ब्याज

वित्तीय वर्ष	आई.टी.आर. दाखिल करने की नियत तिथि (विस्तारित तिथियाँ) /संशोधित रिटर्न	आई.टी.आर. दाखिल करने की वास्तविक तिथि	कर योग्य आय	कर चुकाया गया[13]	धारा 234 ए/बी/सी के अंतर्गत भुगतान किया गया ब्याज
			₹ करोड़ में		
2014-15	31.10.2015	30.09.16	87.03	29.58	14.38
2015-16	17.10.2016 31.03.2018	17.10.16 (मूल) 30.03.18 (संशोधित)	52.99	18.34	04.80
2016-17	07.11.2017 31.03.2019	31.10.17 (मूल) 30.03.19 (संशोधित)	23.89	8.27	0.98
कुल					**20.16**

नोट: वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आयकर विभाग द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया है।

अग्रिम कर का भुगतान न करने और आयकर रिटर्न भरने में देरी के परिणामस्वरूप, कंपनी को दिसंबर 2017 से मार्च 2018 के दौरान ₹ 20.16 करोड़ का ब्याज देना पड़ा। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी के पास पर्याप्त धन होने के बावजूद वैधानिक बकाया चुकाने में देरी की गई। कंपनी अपनी अधिशेष निधियों को फिक्स/सावधि जमा में रख रही थी और यह सोच रही थी कि अग्रिम कर जमा न करने से वह अग्रिम भुगतान नहीं की गई राशि पर ₹ 11.07 करोड़ का ब्याज[14] अर्जित कर सकती थी।

कंपनी ने बकाया अग्रिम कर जमा नहीं करने और आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी के कारण अपने संसाधनों पर ₹ 9.09 करोड़ का अनुचित भार डाला।

कंपनी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (मार्च 2019)।

यह मामला जून 2019 में सरकार और कंपनी के पास भेजा गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (मई 2020)।

यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी इन त्रुटियों के लिए जिम्मेदारी तय करे और ऐसे मामलों के परिहार के लिए एक यंत्रावली स्थापित करे।

5.5 अविवेकशील वित्तीय प्रबंधन

कंपनी ने अधिशेष निधियों को ब्याज की अधिकतम उपलब्ध दरों पर निवेश नहीं किया और ₹ 40.41 लाख का ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया।

हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) भवनों, सड़कों के निर्माण, डिपॉजिट कार्य के आधार पर राज्य राजमार्गों के उन्नयन में संलग्न है, जिसके लिए इसे राज्य सरकार के विभागों से अग्रिम में निर्माण लागत और सेवा प्रभार प्राप्त होते हैं। ऐसी अवधि के लिए, निष्पादित कार्यों का भुगतान नहीं किया जाता है, प्राप्त अग्रिम धनराशि कंपनी के पास अधिशेष रहती है और इसे वाणिज्यिक बैंकों के पास सावधि जमा में निवेश किया जाता है।

---

[13] चुकाए गए कर में ₹ 0.55 करोड़ (मूल्यांकन वर्ष-2015-16), ₹ 0.11 करोड़ (मूल्यांकन वर्ष 2016-17) और ₹ 0.12 करोड़ (मूल्यांकन वर्ष 2017-18) के समायोजित टी.डी.एस. शामिल हैं।

[14] इस अवधि के दौरान विद्यमान एफ.डी.आर. की दर 7.10 से 9 प्रतिशत तक है।

अपने सार्वजनिक उद्यमों द्वारा अधिशेष निधियों के निवेश के लिए राज्य सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए (नवंबर 2013) जिनमें बताया गया था कि उन्हीं बैंकों में निवेश किया जाना चाहिए जो उच्चतम ब्याज दर देते हैं और सूचीबद्ध बैंकों में शामिल हैं। राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड (हरको बैंक) को सूचीबद्ध बैंकों की सूची में शामिल किया (18 जून 2015) और निर्णय लिया कि अधिशेष निधियों का 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा हरको बैंक के पास रखा जाए, बशर्ते कि उसके द्वारा दी जाने वाली ब्याज की दर ऐसे पी.एस.यू./संगठनों को दी गई बेंचमार्क जमा दरों को पूरा करती हो।

कंपनी को अधिकतम रिटर्न प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी अधिशेष निधियों का निवेश करना चाहिए था। कंपनी के 2015-18 की अवधि के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि तालिका 5.2 में दर्शाए गए तीन मामलों में कंपनी ने हरको बैंक में अधिशेष निधियों का निवेश नहीं किया जो अन्य बैंकों, जिनमें निधियों का निवेश किया गया था, की तुलना में सबसे अधिक ब्याज दर की पेशकश करता था। परिणामस्वरूप कंपनी ने ₹ 40.41 लाख का ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया:

तालिका 5.2: निम्न ब्याज दर की एफ.डी.आर. में निवेश के कारण ब्याज आय की हानि दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निवेश की तिथि	निवेशित राशि (₹ करोड़ में)	अधिकतम ब्याज दर (प्रतिशत में)	अधिकतम ब्याज दर देने वाला बैंक	निवेशित निधियों की दर (प्रतिशत में)	बैंक, जिसके पास निधियां जमा हैं	अवधि	ब्याज की हानि (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)={3*(4-6)/100}x8
(i)	30.12.2015	46.00	8.05	हरको	7.60	आईसीआईसीआई बैंक	1 वर्ष	20.70
(ii)	01.01.2016	20.92	8.05	हरको	7.60	आईसीआईसीआई बैंक	1 वर्ष	9.41
(iii)	24.05.2016	29.43	8.00	हरको	7.65	यस बैंक	1 वर्ष	10.30
कुल		**96.35**						**40.41**

लेखापरीक्षा ने निर्णय लेने की प्रक्रिया के अपने विश्लेषण में देखा कि कंपनी ने यह तर्क देते हुए हरको बैंक में निवेश नहीं किया था कि हरको बैंक में पहले ही हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित 10 से 15 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश हो गया था। हालाँकि, राज्य सरकार के जून 2015 के निर्देश राज्य सरकार की एजेंसियों को प्रोत्साहित करने के लिए थे कि वे अपनी अधिशेष निधियों को किसी अधिकतम सीमा के निर्धारण के बिना हरको बैंक के पास निवेश करें।

कंपनी ने बताया (जुलाई 2019) कि चूंकि हरको बैंक में पहले ही हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित 10 से 15 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश हो गया था, अत: निवेश अगली उच्च दरें देने वाले अन्य बैंकों में किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नवंबर 2013 के राज्य सरकार के दिशानिर्देशों ने स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया है कि उन बैंकों में निवेश किया जाना चाहिए जो ब्याज की उच्चतम दर को उद्धृत करते हैं। इस प्रकार, असंगत वित्तीय प्रबंधन के कारण कंपनी ने ₹ 40.41 लाख का ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया।

यह मामला मार्च 2019 में सरकार के पास भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2020)।

यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी चूक के लिए उत्तरदायित्व नियत कर सकती है और राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने अधिशेष धन का निवेश सख्ती से सुनिश्चित कर सकती है।

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य भंडारण निगम

5.6 लघु अवधि ऋणों पर ब्याज का परिहार्य भुगतान

एच.ए.आई.सी. और एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने के.एम.एस. 2017-18 के दौरान एफ.सी.आई. से कस्टम मिल्ड राइस पर ब्याज प्रभार का दावा करने में देरी की और उसे ₹ 1.06 करोड़ का परिहार्य ब्याज प्रभार वहन करना पड़ा।

राज्य सरकार, हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (एच.ए.आई.सी.) और हरियाणा राज्य भंडारण निगम (एच.एस.डब्ल्यू.सी.) सहित अपनी खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) की ओर से धान की खरीद करती है। एच.ए.आई.सी. और एच.एस.डब्ल्यू.सी. वाणिज्यिक बैंकों से लघु अवधि ऋण (एस.टी.एल.) प्राप्त करके किसानों से धान की खरीद करते हैं। मिलिंग के लिए धान को मंडियों से सीधे मिलर्स के परिसर में ले जाया जाता है और फलस्वरूप चावल, अर्थात् कस्टम मिल्ड राइस (सी.एम.आर.) को एफ.सी.आई. तक पहुंचाया जाता है। प्रत्येक खरीफ विपणन सीजन (के.एम.एस.) के लिए, भारत सरकार (भा.स.) सी.एम.आर. की अनंतिम दरों को सूचित करती है, जिसमें मंडी श्रम प्रभार, सूखाने का प्रभार, ब्याज आदि शामिल हैं, जो एफ.सी.आई. को सी.एम.आर. की सुपुर्दगी के समय कंपनी द्वारा दावा किया जाना है। चूंकि एच.ए.आई.सी. और एच.एस.डब्ल्यू.सी. को अपनी खरीद गतिविधियों को करने के लिए एस.टी.एल. पर ब्याज का भुगतान करना है, ऋण सेवा और ब्याज देयता के लिए नए उधार को कम करने के लिए जितनी जल्दी हो सके, प्रतिपूर्ति का दावा करना उनके वित्तीय हित में है।

i) 2017-18 के दौरान 7.90 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर का लाभ उठाने वाले एस.टी.एल. (₹ 1,150 करोड़) द्वारा एच.ए.आई.सी. ने 5.69 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नमूना-जांच किए गए तीन[15] किसान सेवा केंद्रों (एफ.एस.सी.) (आठ में से) ने, एफ.सी.आई. को के.एम.एस. 2017-18 के लिए सी.एम.आर. की डिलीवरी के समय बिक्री बिलों के साथ स्वीकार्य ब्याज का दावा नहीं किया। इन एफ.एस.सी. ने 29 से 405 दिनों की देरी के साथ समेकित पूरक बिलों के माध्यम से एफ.सी.आई. से ब्याज प्रभार का दावा किया और भुगतान प्राप्त किया। ब्याज दरों के लिए दावों को प्रस्तुत करने में एफएससी-वार देरी[16] और परिणामस्वरूप एच.ए.आई.सी. पर ब्याज का बोझ नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 5.3: ब्याज प्रभार के लिए दावा प्रस्तुत करने में एफ.एस.सी.-वार देरी

एफ.एस.सी. का नाम	देरी की सीमा (दिनों में)	ब्याज प्रभार के लिए दावे की राशि (₹ लाख में)	ब्याज भार[17] (₹ लाख में)
कुरुक्षेत्र	49 से 357	455.76	23.89
करनाल	65 से 405	219.24	14.57
फतेहाबाद	29 से 168	550.87	9.01
कुल		**1,225.87**	**47.47**

[15] कुरुक्षेत्र, करनाल और फतेहाबाद।

[16] विलंब की गणना एम.एस.पी. के विक्रय बिल और एफ.सी.आई. को सी.एम.आर. की डिलीवरी से संबंधित अन्य आकस्मिक प्रभार जमा करने की तारीख से लेकर ब्याज प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए अनुपूरक बिल जमा करने की तारीख तक की गई है।

[17] के.एम.एस. 2017-18 के दौरान कंपनी द्वारा लिए गए अल्पावधि ऋणों पर 7.90 प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण औसत ब्याज दर पर गणना की गई है।

के.एम.एस. 2017-18 के दौरान सी.एम.आर. के मूल बिक्री बिल के साथ एफ.सी.आई. से ब्याज के दावों को करने में देरी को सही ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था, जिसके कारण ₹ 47.47 लाख के ब्याज का परिहार्य भार पड़ा।

ii) इसी प्रकार, एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने 2017-18 के दौरान एस.टी.एल. (₹ 914 करोड़) की 7.80 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर का लाभ उठाते हुए 6.65 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नमूना-जांच किए गए एच.एस.डब्ल्यू.सी. के चार[18] जिला प्रबंधक (डी.एम.) कार्यालयों ने एफ.सी.आई. को के.एम.एस. 2017-18 के लिए सी.एम.आर. की डिलीवरी के समय बिक्री बिलों के साथ-साथ ब्याज के दावे को स्वीकार नहीं किया था। इन एफ.एस.सी. ने एफ.सी.आई. से 7 से 317 दिनों तक की देरी के साथ समेकित पूरक बिल के माध्यम से ब्याज प्रभार का दावा किया और भुगतान प्राप्त किया। ब्याज प्रभारों और उन पर ब्याज के दावों को प्रस्तुत करने में डी.एम. कार्यालय-वार देरी[19] को नीचे दी गई तालिका 5.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.4: ब्याज प्रभार के लिए दावा प्रस्तुत करने में डी.एम. कार्यालय-वार देरी

एफ.एस.सी. का नाम	देरी की सीमा (दिनों में)	ब्याज प्रभार के लिए दावे की राशि (₹ लाख में)	ब्याज भार[20] (₹ लाख में)
पानीपत	156 से 307	361.92	16.52
फतेहाबाद	7 से 198	261.17	5.95
कैथल	72 से 268	369.37	15.82
अंबाला	70 से 317	629.78	20.31
कुल		**1,622.24**	**58.60**

दावों की वसूली में देरी को सही ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था। इस प्रकार, के.एम.एस. 2017-18 के दौरान सी.एम.आर. के मूल बिक्री बिलों के साथ एफ.सी.आई. से ब्याज का दावा न करने के कारण एच.एस.डब्ल्यू.सी. को ₹ 58.60 लाख के ब्याज के परिहार्य भार का सामना करना पड़ा।

अत: मूल बिक्री बिलों के साथ एफ.सी.आई. से ब्याज का दावा न करने के कारण एच.ए.आई.सी. और एच.एस.डब्ल्यू.सी. को ₹ 1.06 करोड़ की परिहार्य ब्याज देनदारी का सामना करना पड़ा।

यह मामला सरकार और एजेंसियों के पास भेजा गया था (अप्रैल 2019); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 2020)।

यह सिफारिश की जाती है कि दोनों एजेंसियां अपने अन्य केंद्रों में उन मामलों की जांच के लिए जांच करना पसंद कर सकती हैं जहां एफ.सी.आई. पर देरी के साथ ब्याज के दावे किए गए हैं और ऐसी पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित कर सकती हैं।

---

18 अंबाला, फतेहाबाद, कैथल और पानीपत।

19 विलंब की गणना एम.एस.पी. के विक्रय बिल और एफ.सी.आई. को सी.एम.आर. की डिलीवरी से संबंधित अन्य आकस्मिक प्रभार जमा करने की तारीख से लेकर ब्याज प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए अनुपूरक बिल जमा करने की तारीख तक की गई है।

20 के.एम.एस. 2017-18 के दौरान निगम द्वारा लिए गए अल्पावधि ऋणों पर 7.80 प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण औसत ब्याज दर पर गणना की गई है।

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

5.7 कस्टम मिल्ड राइस का दुरुपयोग

एक मिलर, जिसे खरीफ विपणन सीजन (के.एम.एस.) 2017-18 के लिए फतेहाबाद की जिला मिलिंग समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, को धान आवंटित किया गया था, जिसने ₹ 1.28 करोड़ मूल्य के कस्टम मिल्ड राइस का दुरुपयोग किया।

निदेशालय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग (निदेशालय) अपने धान खरीद संचालन के लिए खरीद एजेंसियों[21] को मंडियों का आवंटन करता है। तत्पश्चात, संबंधित जिला मिलिंग समिति[22] मिलरों की सूची को अनुमोदित करती है और प्रत्येक मंडी के लिए खरीद एजेंसियों हेतु मिलर्स का आबंटन करती है और प्रत्येक मिलर को धान की अनुमानित मात्रा आवंटित की जाती है। खरीदे गए धान को मिलिंग के लिए मंडियों से सीधे मिलर्स के परिसर में ले जाया जाता है और कस्टम मिल्ड राइस (सी.एम.आर.) को एफ.सी.आई. में पहुंचाया जाता है।

निदेशालय ने हसंगा मंडी, जिला फतेहाबाद को हरियाणा राज्य भंडारण निगम को (19 सितंबर 2017) और बाद में हरियाणा कृषि उद्योग निगम (एच.ए.आई.सी.) को आवंटित किया (27 अक्तूबर 2017)। एच.ए.आई.सी. के जिला कार्यालय, फतेहाबाद ने मैसर्ज हरि ब्रदर्स राइस मिल, फतेहाबाद (मिलर) के साथ समझौता किया (6 नवंबर 2017), जो किसी भी मंडी के लिए जिला मिलिंग समिति द्वारा अनुमोदित मिलरों की सूची में शामिल नहीं था। अनुबंध ₹ 4.87 करोड़ के 2,699.175 मीट्रिक टन धान की मिलिंग के लिए था। इसके विरुद्ध मिलर को 4 अक्तूबर 2018[23] तक एफ.सी.आई. को 1,808.45 मीट्रिक टन सी.एम.आर. डिलीवर करना अपेक्षित था।

अनुबंध के अनुसार, मिलर ने एच.ए.आई.सी. के पक्ष में तैयार किए गए पोस्ट-डेटिड चेक के रूप में ₹ 50 लाख की गारंटी प्रस्तुत की। के.एम.एस. 2017 के लिए मिलिंग नीति के अनुसार, एच.ए.आई.सी. को पाक्षिक आधार पर मिलर के परिसर का भौतिक सत्यापन करने की आवश्यकता थी।

इस तथ्य के बावजूद समझौते को निष्पादित किया गया था कि मिलर को किसी भी जिले के लिए अनुमोदित मिलरों की सूची में शामिल नहीं किया गया था। मिलर ने एफ.सी.आई. को 1,318.76 मीट्रिक टन सी.एम.आर. डिलीवर किया और ₹ 1.42 करोड़ मूल्य का 489.69 मीट्रिक टन शेष सी.एम.आर. डिलीवर करने में विफल रहा। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि एच.ए.आई.सी. ने पाक्षिक आधार पर स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया और सितंबर 2018 में किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान मिलर के परिसर को बंद पाया गया और धान उपलब्ध नहीं था।

कंपनी ने तीन महीने की वैधता अवधि के भीतर भुगतान के लिए मिलर से वित्तीय सुरक्षा के रूप में प्राप्त ₹ 50 लाख (दिनांक 1 मई 2018) का पोस्ट-डेटिड चेक प्रस्तुत नहीं किया। मिलर को इस अनुचित लाभ की अनुमति देकर, कंपनी ने नुकसान को आंशिक रूप से ठीक करने का अवसर खो दिया, जो संगठन के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की विफलता का संकेत है। इसके अतिरिक्त, मिलर के विरूद्ध इस दुरूपयोग के लिए कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई (दिसंबर 2019)।

---

21 खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग- हरियाणा सरकार, हरियाणा राज्य भंडारण निगम, हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन महासंघ लिमिटेड।

22 हर जिले के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में सभी खरीद एजेंसियों के जिला प्रबंधकों से मिलकर।

23 31 मार्च 2018 की नियत तारीख को 30 जून 2018, फिर 31 जुलाई 2018 और फिर 4 अक्तूबर 2018 तक बढ़ा दिया गया था।

कंपनी ने बताया (अप्रैल 2019 और जनवरी 2020) कि मैसर्ज हरि ब्रदर्स राइस मिल, फतेहाबाद का नाम उपायुक्त, फतेहाबाद द्वारा जारी विभिन्न मिलर्स को आवंटित धान स्टॉक के भौतिक सत्यापन के लिए जारी किए गए आदेशों में शामिल था। इसके अतिरिक्त, मिलर और गारंटरों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की जा रही है और मध्यस्थता की कार्यवाही भी चल रही है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निदेशालय ने इस तथ्य की पुष्टि की थी कि मिलर का नाम उन मिलरों की सूची में शामिल नहीं किया गया था जिन्हें के.एम.एस. 2017-18 के दौरान मंडियां आवंटित की गई थीं। इस प्रकार, एच.ए.आई.सी. ने एक अननुमोदित मिलर को धान आवंटित किया, भौतिक सत्यापन न करने और समय पर नकदी की सुरक्षा में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.28 करोड़[24] के मूल्य के सी.एम.आर. का दुरुपयोग हुआ।

यह मामला सरकार और कंपनी के पास भेजा गया था (मई 2019); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अगस्त 2020)।

यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी को नियमित रूप से स्टॉक का भौतिक सत्यापन करना चाहिए और उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए जिन्होंने धान को एक अननुमोदित मिलर को आवंटित किया।

(फ़ैसल इमाम)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

चण्डीगढ़
दिनांकः 20 नवम्बर 2020

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः 8 दिसम्बर 2020

[24] मिलर द्वारा जमा किए गए एफ.डी.आर. के नकदीकरण की ओर ₹ 10.50 लाख की राशि और कुटाई शुल्क के कारण एच.ए.आई.सी. द्वारा देय ₹ 3.27 लाख के समायोजन के बाद।